

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल वनमण्डल  
जिला-शहडोल 484001 (म.प्र.)

PHONE ☐-07652-245167, EMAIL- dfotnshahd@mp.gov.in

क्रमांक/एन0आई0टी0/ई-टेण्डर/2026/3298

शहडोल दिनांक 13/05/2026

खंड -I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक/ई-टेण्डर/2026/ 3298

शहडोल, दिनांक: 13/05/2026

वनमंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन के लिए वर्ष 2026-27 अवधि हेतु 05 किराये की बालेरो वाहनो हेतु ई-टेडरिंग पद्धति से आनलाईन पोर्टल <https://mptenders.gov.in/> के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	कार्य का विवरण	अमानत राशि	निविदा का मूल्य	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य समयावधि
1	वनमंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत (वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा एवं शासकीय कार्यों के सम्पादन) के लिए वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु 05 बोलेरो वाहन हेतु 2000 कि०मी० प्रति माह ईंधन सहित किराया की निविदा	90,000/- (नब्बे हजार रुपये) मात्र	30 लाख	1,000/-	अनुबंध दिनांक से मार्च 2027

समस्त निविदाकारों को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है -


1. निविदादाता निविदा की सूचना की विस्तृत जानकारी एवं अन्य संबंधित जानकारी वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> एवं विभाग की वेबसाइट <https://mpforest.gov.in/> पर देख सकते हैं।
2. वाहन किराए पर लगाये जाने के लिए नियमानुसार जी.एस.सी./सर्विस टैक्स (सेवा करदाता) व्यक्तियों/पंजीकृत फर्म/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है, सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/ संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिए जाने संबंधित प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदा संबंधी समस्त दस्तावेज आनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
4. निविदा में कोई भी संशोधन वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में अनिवार्य: पंजीबद्ध होना चाहिए।
6. वाहन अच्छी हालत एवं मॉडल वर्ष 2023 या बाद के वर्ष का होना चाहिए।
7. टेंडर दाता को टेंडर फार्म के साथ प्रत्येक वाहन से संबंधित दस्तावेज (वाहन का पंजीयन, टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी.यू.सी. फिटेनस प्रमाण पत्र, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नम्बर एवं उसका ड्राइविंग लाइसेंस) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन पूरे माह 24 घंटे के लिए विभाग को उपलब्ध कराना होगा, एवं वाहन 24 घंटे विभागीय अधिकारियों के अधिपत्य में रहेगा।
9. वाहन पर नियुक्त ड्राइवर का वेतन, वाहन का मेंटीनेंस, आयल सर्विस, टैक्स आयकर, कामर्शियल टैक्स, परमिट शुल्क, बैरियर शुल्क, बीमा सहित अन्य समस्त व्यय निविदाकार को स्वयं वाहन करना होगा। निर्धारित व स्वीकृत किराये की राशि के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. वाहन की निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल संबंधित निविदाकार द्वारा वाहन विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा विभाग को वाहन उपलब्ध नहीं कराया

- जाता है तो ऐसी स्थिति में एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाकर उनके द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी।
11. आयकर एवं अन्य समस्त देय करों के भुगतान की राशि वनमंडल से देय भुगतान से काटी जा सकेगी।
  12. प्रत्येक निविदाकार कही भी ब्लैक लिस्ट न होने का **Self certification 200** के नोटरीज स्टाम्प में प्रस्तुत करेगा।
  13. वाहन का अनुबंध अनुबंध दिनांक से मार्च 2027 तक ही रहेगा। अनुबंध दोनों पक्षों की सहमति से 90 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है।
  14. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्कैन प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें।
    - अ वाहन का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे।
    - ब आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
    - स आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
    - द टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी0यू0सी0 फिटनेश प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
    - ई ड्राइवर का नाम, मोबाईल नंबर ड्राइवर का ड्राइविंग लाईसेंस।
  15. आनलाईन निविदा की टेन्डर फीस राशि ₹0 1000 EMD राशि रुपये 90,000/- रहेगी। चयनित निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शित सामग्री की **Performance Security Deposit** रुपये 90,000/- राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर. के रूप में वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल उत्तर शहडोल के पक्ष में बनाकर जमा करना होगा। Performance Security Deposit जमा होने उपरांत ही निविदा आवंटित की जावेगी।
  16. नैसर्गिक एवं प्राकृतिक दुर्घटना के लिए वनमण्डल कोई जवाबदारी वहन नहीं करेगा।
  17. वाहन मालिक या वाहन चालक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो वाहन मालिक/वाहन चालक जिम्मेदार होंगे तथा उसी समय वाहन अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
  18. निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल को होगा।
  19. निविदा की दरें निर्धारित BOQ फाईल में ही भरी जायेगी।
  20. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान संस्था द्वारा ही किया जावेगा।
  21. कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार के मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
  22. किराये पर लिये गये वाहन की सेवाएं सन्तोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन को कार्यालय से हटाने का संपूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल उत्तर शहडोल का होगा।
  23. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि निविदाकार अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी शासन के पक्ष में रासात करते हुए काली सूची में नाम दर्ज कर 03 वर्षों के लिये शासकीय विभागों में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
  24. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
  25. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

  
 वनमंडलाधिकारी  
 उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

निम्नानुसार दस्तावेजो फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित  
स्केन कापी अपलोड की जाना है।

क्रं.	विवरण
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्रा) जमा की रसीद।
2	सत्यंकार की राशि रूपये 90,000/- (रूपये नब्बे हजार) जमा रसीद।
3	प्रत्येक निविदाकार कही भी ब्लैक लिस्ट न होने का <b>Self certification</b> प्रस्तुत करेगे। 200 के लीगल नोटरीज स्टाम्प मे
4	प्रपत्र ए-1, प्रपत्र ए-2
5	वाहन का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे।
6	आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
7	आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
8	टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी.यू.सी., फिटनेस प्रमाण पत्र, वायु प्रदूषण, की छायाप्रति।
9	ड्राइवर का नाम, मोबाइल नम्बर, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस।

  
वनमंडलाधिकारी  
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

प्रपत्रर र-1  
(नररररर प्रपत्रर) फर्र की जनकररी

प्रतर,

वनडडलरधरकररी  
उतर शहडोल वनडणुडल (ड.प्र.)

वरषड-

वरहन कररररर हेतु नररररर वरष 2026-27 डरवतु।

डहोदड,

उडरुकुत वरषडरंतगुत नररररर है कर, हडररी संसुथर/फर्र की जनकररी नरररनुसर है -

कुर.	वरररर	
1	फर्र कर नरड	
2	डत्रर वरररर कर डतर	
3	फर्र के डुरतरनरधर कर नरड	
4	डदनरड	
5	दूरडरष नडुडर (डुडरइल रं वं लेंडलरईन)	

डुरडरण डत्र

डुरडरणरत कररर डरतुर है कर, नररररर डें दरशरत शरुत कुरडरंक 1 से 28 तक की संडसुत शरुत डुडुडे डरनुड है रं वं उकुत शरुतु के अनुसर ई-नररररर हेतु नररररर वरष 2026-27 कर कररु डुरणतः करने कु अपनी सहडतर डुरदरन करते है।

फर्र के अधरकृत हसुतररकर रं वं सील

**प्रपत्र ए-2**  
**ड्राइवर संबंधी प्रपत्र**  
**प्रथम वाहन हेतु**

1	ड्राइवर का नाम	
2	ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस	
3	ड्राइवर का मोबाइल नम्बर एवं पता	

**द्वितीय वाहन हेतु**

1	ड्राइवर का नाम	
2	ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस	
3	ड्राइवर का मोबाइल नम्बर एवं पता	

**तृतीय वाहन हेतु**

1	ड्राइवर का नाम	
2	ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस	
3	ड्राइवर का मोबाइल नम्बर एवं पता	

**चतुर्थ वाहन हेतु**

1	ड्राइवर का नाम	
2	ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस	
3	ड्राइवर का मोबाइल नम्बर एवं पता	

**पंचम वाहन हेतु**

1	ड्राइवर का नाम	
2	ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस	
3	ड्राइवर का मोबाइल नम्बर एवं पता	

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील